



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042022-235078
CG-DL-E-12042022-235078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944

No. 1721]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1808(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. इकबाल सिंह लालपुरा को, उनके पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

निगार फातिमा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1808(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with sub-section (1) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby nominates Shri S. Iqbal Singh Lalpura as the Chairperson of the National Commission for Minorities for a period of three years from the date of assumption of office.

[F. No. NCM-11011/3/2021-PP-MoMA]

NIGAR FATIMA HUSAIN, Jt. Secy.